

न्यायालय: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर।

परिवाद पत्र संख्या-330/2022

दिनांक

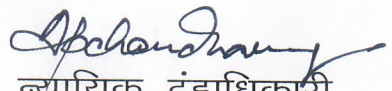
27.03.2023

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं हुए। परिवादी अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादीनी की ओर से दिनांक 17.10.2022 को अभियुक्त इसर राय वगै० के विरुद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया गया। दिनांक 11.11.2022 का परिवादीनी का शपथ पर बयान दर्ज किया गया। परिवादनी दिनांक 19.11.2022 से लगातार अनुपस्थित है। परिवादीनी को दिनांक 20.02.2023 को जाँच साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। परंतु परिवादीनी की ओर से आज भी कोई पैरवी नहीं की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादीनी को परिवाद पत्र चलाने में कोई अभिरुचि नहीं रह गई।

ऐसी स्थिति में परिवादीनी की ओर से दाखिल परिवाद पत्र को खारिज किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित


मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
शिवहर। 27/03/23